Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in
Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014 **दिनांक: 22 सितम्बर, 2014**

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 34/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय-स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय अभियान से सम्बंधित

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

महात्मा गाँधी जी के प्रिय सिद्वान्तों में से एक 'स्वच्छता धर्मनिष्ठता से भी आगे है' को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने महात्मा गाँधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, 2014 से **'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय'** शुरूआत करने का फैसला किया है।

इस संदर्भ में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी अपने विद्यालयों में 25 सितंबर, 2014 से लेकर 31 अक्टूबर, 2014 तक 'स्वच्छ भारत अभियान' अभियान प्रारंभ किया है।

इसलिए सीबीएसई भी चाहता है कि उससे सम्बद्ध विद्यालय इस अभियान का लाभ उठाएँ। संबद्ध विद्यालय इस दौरान स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित कर स्वच्छ विद्यालय अभियान में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ-साथ छात्रों, शिक्षकों अभिभावकों को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विद्यालय इस दौरान अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित गतिविधियों आयोजित कर सकते हैं:-

1. विद्यालय सभा में प्रतिदिन, सफाई एवं स्वच्छता संबंधी महात्मा गाँधी की शिक्षा एवं उपदेशों पर छात्रों द्वारा सम्भाषण करवाया जाए,
2. कक्षाओं, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों आदि की सफाई करवाई जाए,
3. विद्यालयों में स्थापित किसी मूर्ति की सफाई,
4. पेय जल क्षेत्र/प्रसाधनों/शौचालयों की साफ-सफाई,
5. पाठशाला या भोजनगृह एवं भंडारगृह की साफ-सफाई,
6. खेल के मैदानों की सफाई एवं देखभाल
7. विद्यालय भवन की वार्षिक देखभाल एवं रंगाई पुताई
8. विद्यालय में सफाई एवं स्वच्छता पर आधारित निबन्ध, चित्रकला, प्रतियोगिताओं, वाद विवाद, गीत, पटकथा, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन।
9. स्वच्छता अभियान का निरीक्षण एवं उसपर निगरानी रखने के लिए बच्चों के एक मंत्रीमंडल का गठन करना।
10. विद्यालय की स्वच्छता से संबंधित कोई भी अन्य गतिविधि।

कृपया सर्वोत्तम अभ्यास के एक उदाहरण को देखें जिसमें घर-घर तक स्वच्छता का संदेश पहुँचाने के लिए गीता एवं नारे शामिल हैं। पटकथा अनुसंलग्नक-1 में संलग्न है। बाद में ऑडियो लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा।

इस सप्ताह के अंतर्गत विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने स्वच्छता की अवस्थिति को ऑनलाइन दी गई वेबसाइट www.schoolsanitation.com पर भरें जो कि पुरस्कार जीतने योग्य गतिविधि है। अच्छी स्वच्छता वाले विद्यालयों को रेंटिग के अनुसार (सत्यापन के पश्चात्) उन्हें उनकी रेंटिग के अनुसार सम्मानित किया जाएगा। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यालयों को **हरी रेटिंग** दी जाएगी। उन स्कूलों को 1,00,000 रुपये का नक़द पुरस्कार दिया जाएगा **नीली रेटिंग** वाले स्कूलों को 75,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा एवं यदि **पीली रेटिंग** प्राप्त करते हैं तब उन्हें 25,000 रुपये का नक़द पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे **काली** अथवा **लाल रेटिंग** प्राप्त करते है, तब उन्हे सुधार करने की आवश्यकता है।

विद्यार्थियों के 'स्वच्छ अभियान' तथा मूल्यांकन को 31 अक्टूबर, 2014 से आगे भी 15 अगस्त 2015 तक जारी रखा जाएगा जिसमें स्वच्छता पर फिल्मों के शो, मॉडल गतिविधियों का संचालन, आवधिक निबंध/चित्रकला तथा अन्य प्रतियोगिताओं, रोल प्ले इत्यादि को 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' के संदेश पर बल देने के लिए शामिल किया गया है।

आप इन बातों की सराहना करेंगे क्योंकि हमें हमारे सभी बच्चों में उनके प्रांरभिक विद्यालयी जीवन से ही अस्वास्थ्यकर स्थितियों से बचाव तथा स्वच्छता एवं स्वास्थ्यवर्धक जीवन की भावना को जगाने की आवश्यकता है। और ऐसा होने से ही देश का हर बच्चा अच्छे, साफ सुथरे तथा स्वास्थ्यवर्धक जीवन परिदृश्य की सराहना कर सकेगा।

अगर आप इस अभियान में कोई रचनात्मक/नवाचार गतिविधि को बच्चों को साथ मिलाकर अपनाते हैं तथा साथ ही उनमें सफाई का संदेश अंतर्ग्रहित कराते हैं तब कृपया उसे हमारे साथ भी दी गयी ई-मेल cenbosec@gmail.com पर साझा करें। किसी भी शंका समाधान के लिए आप डॉ. प्रज्ञा एम. सिंह संयुक्त निदेशक को दिये गये नम्बर पर 011-23215130 पर अथवा दी गयी मेल pragyamsingh.cbse@gmail.com पर संपर्क कर सकते है और अगर आपकी शंका स्वच्छता वेबसाइटों से संबधित है तब आप श्री संदीप सेठी, शिक्षा अधिकारी, को दिये गये नम्बर 011-23217128 पर अथवा touchsandeep.sethi@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

भवदीया

हस्ताक्षरित/-
डॉ. साधना पाराशर
निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10. सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
11. सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
12. सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
13. के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
14. सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
15. सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
16. उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
17. असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
18. जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
19. हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
21. सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
22. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
23. निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव

24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक

25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)